तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

वाद प्र.सं. 55/2024
जीसीएमएस : 2024/160
भोली कौर पुत्री स्वरूप सिंह जाति मजबी निवासी 6 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

बनाम

1.तेज कौर पत्नी स्वरूप सिंह जाति मजबी निवासी 6 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,92ए,209 आरटीएक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेम कुमार चुघ, अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी सं. 2, स्वयं
3. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 11.03.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी के द्वारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज विवादित भूमि चक 1 जेएसडी मु.नं. 9 प.नं. 139/353 कि.नं. 15, 16/2, 17/2, 18, 19/2 व मु.नं. 8 प.नं. 140/353 कि.नं. 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 2522 की कुल 2.1380है. कमाण्ड में से वादी के नाम से रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 267/2138 खातेदारी का प्रतिवादी से खाता विभाजन कर किलावाईजन भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज करने के आदेश प्रदान करने के अनुतोष के आधार पर वाद पत्र पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं कि वादी का वाद चाहे अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जावे। दिनांक 11.03.2025 को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया है। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा अनुसार खाता विभाजन करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से रिकार्ड में दर्ज वादी स्वयं की खातेदारी हिस्सा की भूमि का विभाजन चाहा गया था तथा राजीनामा अनुसार कि.नं. सहमति से तय कर विभाजन चाहा गया है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र राजीनामा आधार पर स्वीकार डिक्री किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि चक 1 जेएसडी खाता सं. 23 में दर्ज मु.नं. 9 व 8 की कुल 2.138 है. कमाण्ड भूमि का राजीनामा आधार पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य खाता विभाजन किया जाकर पक्षकारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि का [illegible] घोषित किया जाता है :–

1	वादी भोली कौर खातेदार	चक 1 जेएसडी मु.नं. [illegible] /353 कि. नं. [illegible] 24/2 में [illegible] नं. 25/2 [illegible] हुए) कुल 0.039है.(कि.नं. 25/2 [illegible] 0.267है. कमाण्ड भूमि
2	प्रतिवादी सं. 1 तेज कौर खातेदार	खाता में दर्ज शेष भूमि 1.871है. प्रतिवादी के नाम से रिकार्ड में यथावत दर्ज रहेगी

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

उपर्युक्त विभाजन अनुसार वादी के नाम से पृथक खाता में भूमि खातेदार दर्ज की जावे। भूमि की किस्म/प्रकृति, साहिन तथा अन्य अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:22:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner